राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मंगलराम बनाम पोखर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1365/2025		

12/05/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/05/2026 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

13/05/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी मंगलराम ने अधीनस्थ न्यायालय एक वाद बाबत इन्द्राज दुरुस्ती, घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 मूलतः खिजूरियां जाटान, तहसील बस्सी के मूल निवासी है कृषि एवं मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं। पक्षकारों की कब्जे काश्त खातेदारी की पैतृक भूमि ख.नं. 35 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, ख.नं. 65 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, ख.नं. 118 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा स्थित ग्राम खिजूरियां जाटान, तहसील बस्सी, में स्थित है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि कहकर संबोधित किया गया है। वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार रूग्धा पुत्र बालू धोबी जो कि वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 के जायन्दा पिता थे | वाद पत्र में आगे सजरा खानदान अंकित करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार रूग्धा पुत्र बालू धोबी था जिसके तीन जायन्दा पुत्र पोखर, किशना, मंगलराम पुत्रान रूग्धा धोबी उत्पन्न हुए। रूग्धा पुत्र बालू की सन् 1987 के लगभग मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद कानूनन वादग्रस्त भूमि की खातेदारी उसके तीनों जायन्दा पुत्रो व बेवा मु. मूली बेवा रूग्धा के नाम आनी चाहिए थी परन्तु वादी के अशिक्षित व छोटे भाई होने का व कर्ता खानदान बडा भाई होने का फायदा उठा कर राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी नामान्तरण सं. 103 के माध्यम से विधि विरूद्ध रूप से दोनो बडे पुत्र पोखर, किशन पुत्रान रूग्धा, मु. मूली बेवा रूग्धा के नाम लगा लिया जिसकी वादी को कोई जानकारी नही हो सकी। उक्त नामान्तरण सं. 103 वादी के अधिकारों के प्रति क्लेदम बेअसर एवं प्रभाव शुन्य हैं। इससे वादी के अधिकारो पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता हैं। वादग्रस्त भूमि को उनके पिता की मृत्यु के बाद तीनो भाईयों ने शामलात में काश्त करना शुरू कर दिया एवं पैदा होने वाले जीन्स को तीनो भाई बांटा कर लेते हैं। वादग्रस्त भूमि में पानी नही होने से सिंचाई के साधन नही होने से एक फसल होती है एवं पिछले लम्बे समय से समुचित वर्षा नही होने से वर्षा जनित फसल भी कम ही हो पा रही हैं। कालान्तर मे वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 की माता मु. मूली देवी की मृत्यु हो गई है उसके हिस्से की भूमि को भी प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने अपने अकेले के नाम लगवा ली। वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

12/5/26

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मंगलराम बनाम पोखर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1365/2025	

व प्रतिवादी नं. 1 व 2 शामलात काश्त करते रहे एवं पैदा होने वाले जिन्स को तीन हिस्सो में बांट लेते थे इसलिए कभी राजस्व रिकॉर्ड में हुए गलत इन्द्राज की कोई जानकारी नही हो सकी एवं तीनो भाई शामलात में काबिज रहकर काश्त करते रहें। मूली देवी की मृत्यु के बाद तीनो भाईयों ने वादग्रस्त भूमि को मनबट से बांटा कर काबिज रहकर अपने-अपने हिस्से पर काश्त कर रहे हैं। कानूनन हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की मंशा के मुताबिक वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार पक्षकारो के पिता रूग्धा की मृत्यु हो जाने पर कानूनन वादग्रस्त भूमि की खातेदारी रूग्धा की मृत्यु पर पीछे छोडे गये समस्त प्रथम श्रेणी के वारिस तीनों जायन्दा पुत्र वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 के लगनी चाहिए थी परन्तु प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने कर्ता खानदान होने व समझदार होने का फायदा उठाकर दोनो भाईयों ने रूग्धा की समस्त भूमि को अकेले अपने नाम लगा ली जिसकी जानकारी वादी को नही हो सकी जब कि मौके पर वादग्रस्त भूमि के 1/3 भाग पर वादी 1/3 भाग पर प्रतिवादी नं. 1 पोखर व 1/3 भाग पर प्रतिवादी नं. 2 किशना काबिज रहकर उपयोग उपभोग कर लाभाविन्त होते आ रहे है। अतः वादी राजस्व इन्द्राजात को दुरूस्त कराने का अधिकारी हैं। कानूनन वादग्रस्त भूमि रूग्धा पुत्र बालू की होने से एवं वादी रुग्धा का जायन्दा पुत्र होने से उसकी माता मूली देवी बेवा रूग्धा के निधन हो जाने से वादग्रस्त भूमि में वर्तमान मे वादी का 1/3 भाग प्रतिवादी नं. 1 पोखर का 1/3 भाग व प्रतिवादी नं. 2 किशना का 1/3 भाग हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की मशा के अनुसार बनता है। अतः वादी वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कराकर वादी 1/3 भाग के प्रतिवादी नं. एक 1/3 भाग के प्रतिवादी नं. दो 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादी 1/3 भाग पर प्रतिवादी नं. एक 1/3 भाग पर, प्रतिवादी नं. दो 1/3 भाग पर मनबट से बांटा कर अपने-अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है एवं उपयोग - उपभोग कर लाभाविन्त होते आ रहे है परन्तु कुछ समय से पक्षकारों में रकबे की कमी बेशी व जाने आने के रास्ते को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है एवं बंटवारा कराना आवश्यक हो गया है। वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादी को वादग्रस्त भूमि के 1/3 भाग का, प्रतिवादी नम्बर 1 को 1/3 भाग का व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व इन्द्राज को दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मंगलराम बनाम पोखर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1365/2025	

उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर दोनों पक्षों की और से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 29/07/2025 पारित करते हुये वादी का वाद घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन वाद में कुल चार तनकीयात कायम की गयी थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयो का विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के अनुसार निस्तारण नही कर सर्वप्रथम तनकी संख्या 3 का निस्तारण करते हुये शेष तनकीयात के निस्तारण में तनकी संख्या 3 के विवेचन को आधार बनाया गया है जो न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | कानूनन प्रत्येक तनकी का साक्ष्य-सबूत के आधार पर निष्कर्षात्मक निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है किन्तु ऐसा नही कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी किया जाना प्रकट होता है | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 के माध्यम से गौद के बिन्दु को तय किया गया है एवं इस सन्दर्भ में दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा उद्धरित नजीरो में माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि गौद का बिन्दु तय करने के लिये सिविल न्यायालय ही अधिकारिता रखता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत प्रतीत नही होती है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29/07/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की परिधि में बाद सुनवाइ पक्षकारण विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 13/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर